कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनॉक :— 27.04.2021

आदेश
(संख्या:–216/2021)

बार एसोसियेशन गाजियाबाद के प्रस्ताव दिनांकित 22.04.2021, 26.04.2021 व दिनॉकित 27.04.2021 का अवलोकन किया गया। बार एसोसिशेयन गाजियावाद के सचिव श्री मनमोहन शर्मा के प्रस्तावों से विदित होता है कि कोरोना संक्रमण के कारण अधिवक्ता श्रीमती सविता रावत, श्री सोहेलदेव डागर, श्रीमती आशा शर्मा, विपिन शर्मा व श्री रोहित पीपल का निधन हो गया है। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहना व्यक्त किया गया है।

बार एसोसियेशन गाजियाबाद के पत्र संख्या 165 /2021 दिनॉकित 27.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में भी कई अधिवक्तागण श्री रामशरण शर्मा, श्री श्री ओम शर्मा, श्री अजय कुमार अजय, श्री देवराज बतुरा व श्री नजाकत चौधरी आदि कई अधिवक्तागण कोरोना संकमित होकर स्वर्गीय हो चुके है तथा जिला जज के अर्दली की मृत्यु हो चुकी है तथा न्यायालय परिसर में स्टाम्प विक्रेता की मृत्यु हो गई है और कई अधिवक्तागण जैसे श्रीमति अंजना शर्मा, श्री रवि शर्मा, श्री नेपाल सिंह शिशोदिया, श्री डी0सी0 चौधरी तथा श्री चन्द्र भान सिंह आदि कोरोना महामारी से संकमित है तथा अधिवक्तागण के साथ–2 न्यायिक अधिकारीगण श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा जिला जज गाजियाबाद, श्री विवेकानन्द विश्वकर्मा अपर जिला जज गाजियाबाद, श्री मानवर्धन सिंह, अपर जिला जज, श्रीमति अर्चना रानी अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गाजियाबाद, श्री जयवीर सिंह नागर अपर जिला जज /त्वरित न्यायालय संख्या 01, गाजियाबाद श्री प्रफुल्ल कुमार चौधरी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 04, गाजियाबाद तथा कई अन्य न्यायिक कर्मचारीगण भी कोरोना से संकमित हो चुके है तथा अन्य कई संकमित हो रहे है ।

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 214/2021 दिनॉकित 26.04.2021 के अनुसार गठित कोविड–19 एसेसमेंण्ट एवं रिव्यू समिति जनपद न्यायालय गाजियाबाद के द्वारा भी आख्या दिनॉकित 27.04.2021 प्रस्तुत की गई है। उक्त आख्या में समिति के द्वारा सम्पूर्ण न्यायालय परिसर व अधिवक्तागण के चैम्बर आदि को पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन कराये जाने हेतु न्यायालय परिसर को 48 घंटो के लिए बन्द किये जाने की संस्तुति की है जिससे अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

अतः कोरोना संकमण की द्वितीय लहर जो कि प्रचण्ड रूप से जारी है के संक्रमण से जनहानि को रोकने हेतु न्यायालय परिसर व अधिवक्तागण के चैम्बर आदि के पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन हेतु जनपद न्यायालय गाजियाबाद को आगामी 48 घण्टों के लिए अर्थात दिनॉक 28.04.2021 व दिनॉक 29.04.2021 के लिए पूर्ण रूप से बन्द किया जाता है।

इस आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित को प्रेषित की जावे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी सूचित किया जावे।

27.04.2021

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
District Judge
Ghaziabad